

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जलत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

अजमेर

नलाल व अन्य

बनाम उगमा व अन्य

मुकदमा 212 मुकदमा नम्बर 122/2011.....सन

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.9.2019	<p>श्री पत्रावली पेश हुई। राजकीय पेरोकार उपस्थित । अपीलान्त अभिभाषक उपस्थित । राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुति कि दिनांक 19.11.2018 के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 10.4.2017, 16.7.2018, 7.8.2018, 18.9.2018 की पालना में आज दिवस तक अप्रार्थी संख्या 1,2, 4 से 7, 9,10/1,10/2,11/1/1 से 11/1/2, 11/2/1 से 11/2/, 11/3 से 12/2, 14/1 से 15, 17 की तलती हेतु रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस तलबाना पेश नहीं किये जिस हेतु वादी द्वारा आदेशिका दिनांक 10.4.2017, 16.7.2018, 7.8.2018, 18.9.2018 के पश्चात कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 10.4.2017, 16.7.2018, 7.8.2018, 18.9.2018 को अप्रार्थी की तलती हेतु नोटिस तलबाना रजिस्टर्ड ए डी के पेश नहीं किये इस हेतु अन्तिम अवसर दिया गया के दिनांक 16.7.2018, 18.6.2019 को अन्तिम अवसर दिए जाने पर भी पालना नहीं की गई है। इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 10.4.2017, 16.7.2018, 7.8.2018, 18.9.2018 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 18.6.2019, के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। जिससे वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद पत्र को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रुचि प्रकृत होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत वादी अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

